न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निर्देशक
पीठासीन अधिकारी : बी. एल. कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 302/2017

अपीलान्ट

बिरजू कंवर पत्नी श्री नेपालसिंह
निवासी मोहनगढ हाल निवासी
मकान न. 324 महावीर निवास
वार्ड न. 22 इन्द्रा कॉलोनी
जैसलमेर जिला जैसलमेर

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. नखतसिंह पुत्र तगसिंह जाति राजपुत निवासी लोदरवा तह. व जिला जैसलमेर
2. थानसिंह पुत्र सगतसिंह जाति राजपुत निवासी फुलिया तह. व जिला जैसलमेर
3. राणसिंह पुत्र श्री खिवराजसिंह जाति राजपूत निवासी मुलाना तह. फतेहगढ जिला जैसलमेर
4. तहसीलदार फतेहगढ जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 12.11.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ राजस्व आवेदन मुकदमा नं. 8/2016 बअनवान नख्तसिंह वगैरा बनाम बरजु कंवर वगैरा

निर्णय

दिनांक : 4/6/19

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किं ग्राम दवाडा तहसील फतेहगढ,जिला जैसलमेर के खसरा संख्या 423/837 के सीमांकन/नेखमबन्दी करवाने हेतु रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 111, 128 के तहत एक राजस्व आवेदन संख्या 8/2016 पेश किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2016 को नेखमबन्दी करने के निर्देश तहसीलदार फतेहगढ को जारी किये गये। उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2016 के विरूद्व अपीलार्थीया के द्वारा यह प्रथम राजस्व अपील

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

हमने दोनों पक्षकारान के अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट बिरजू कंवर जो कि वादग्रस्त खसरा संख्या 423/837 के लगते हुए खसरा संख्या 423/837/887 की खातेदार होने व उसमें अपीलाण्ट की ढाणी टांका व टयुबेल होने से आवश्यक रूप से हितबद्व पक्षकार को विधिवत रूप से नोटिस व तामिल नहीं कराया और न हीं सुनवाई का अवसर दिया है ऐसे में अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी ने सीमाकंन नेखमबन्दी का आदेश पारित करने से पूर्व कानून के मूलभूत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना न करके एक तरफा कार्यवाही कर नेखमबन्दी कार्यवाही करने के निदेश दिये गये है क्योंकि अपीलार्थीया को जो नोटिस और रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये है वह सही पते पर न भेजकर और लिफाफे पर कांटछाट कर अपीलार्थीया को सुनवाई का मौका नहीं देकर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत नेखमबन्दी के प्रकरणं संख्या 8/16 की आदेशिका/फर्द अहकाम देखने मात्र से ही यह दर्शित होता है कि अपीलाण्ट को भेजे नोटिस जो कि दिनांक 2.3.2016 को न्यायालय से जारी करने के आदेश थे तथा दिनांक 4.4.2016 को न्यायालय से डिस्पेच कर 18.4.2016 तामील व जवाब में पत्रावली नियत थी परन्तु अपीलाण्ट को जो भेजे लिफाफा जो न्यायालय में आज भी रिकार्ड पर है उस पर डाकपाल का दिनांक

19.042016 को पृष्ठांकन किया हुआ है कि ताला लगा हुआ है। इसके साथ ही बन्द लिफाफे पर अलग हस्तलिखित से तथा कांट छांट से लेने से इन्कार दिनांक 22.4.2016 का भी पृष्टांकन है। साथ ही लिफाफे पर दो पते अलग अलग जगह के दर्शित है इससे यह भलीभांति यही सिद्व होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीया की विधिवत रूप से तामिली पूर्ण नही की गई है।

अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के समक्ष नेखमबन्दी हेतु रेस्पोडेन्टस द्वारा जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसमें में यह उल्लेख किया कि हमारे एवं अपीलार्थीया की सीमा पर किसी प्रकार की कच्ची व पक्की माठ या सीमा चिन्ह आदि नही होने के कारण प्रार्थी द्वारा अपने खेत के चारो और पक्की तारबन्दी नहीं होने का विवरण दर्शाया गया है। परन्तु यह सर्वविदित है कि अपीलाण्ट की भूमि पर वर्षो से तार बन्दी की हुई है तथा उक्त भूमि टयूबवेल से संचित है और तथा ढाणी में विद्युत विभाग जारी द्वारा कनेक्शन भी है। पानी का टांका बना हुआ है साथ ही पडौसी खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि भी टयूबवेल से सिंचित है। इसके अलावा भूमि पर मई 2015 में भूमि पैमाईस कराने हेतु प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नख्तसिंह के द्वारा तहसीदार के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसमें सीमाज्ञान की मौका फर्द दिनांक 19.05.2015 को बनी हुई है। हालाकि मौका फर्द पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर न कराकर अपने चहेतों के हस्ताक्षर करवाकर पक्की तारबन्दी करवाई थी। इतना सब कुछ होते हुए भी रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की नियत अपीलान्ट की खातेदारी भूमि व रहवासीय ढाणी टांका इत्यादि पर जबरन कब्जा करने की नियत से उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के समक्ष गलत तथ्य बताकर बनाकर नेखमबन्दी का प्रार्थना पत्र पेश कर एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर आलोच्य आदेश पारित करावाया जो विधि सम्वत नहीं होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की ओर अपीलार्थीया के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने पर पूर्ण रूप से उतारू थे, दिनांक 12.11.2016 के नोटिस का हवाला देकर एकतरफा

कार्यवाही अमल में लाई गई है जो निरस्त करने योगय है। मुझ अपीलार्थीया को अपीलाधीन आदेशर की जानकारी दिनांक 9.5.2017 को अपने पडौसी खातेदार काश्तकार के जरिये हुई तब उसके द्वारा अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली की नकले प्राप्त करते हुए यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीया की अपील को स्वीकार किया जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि हर खातेदार काश्तकार को अपने हक–हिस्से व मालिकाना भूमि की नेखमबन्दी और सीमाकंन करवाने का पूर्ण अधिकार होता है और विधि में प्रदत्त अधिकारों के तहत ही उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम दवाडा के अपने खेत खसरा संख्या 423/837 रकबा 35 बीघा भूमि का सीमांकन/नेखमबन्दी करवाने हेतु रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 111, 128 के तहत एक राजस्व आवेदन संख्या 8/2016 पेश किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ के द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाते हुए रेस्पोडेन्टस के हक–हिस्से वाली भूमि की नेखमबन्दी करवाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2016 को पारित करते हुए नेखमबन्दी के निर्देश तहसीलदार फतेहगढ को जारी किये गये है जो विधि अनुकूल होने से यथावत बहाल रखे जावे।

रेस्पोडेन्टस के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीया को विधि पूर्वक नोटिस जारी किये गये तथा तामील पूर्ण करवाने के उपरान्त ही नेखमबन्दी करवाने के आदेश जारी किये गये है और रेस्पोडेन्टस के द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही अपीलार्थीया के द्वारा रेस्पोडेन्टस को तंग व परेशान करने के कारण की है क्योंकि अपीलार्थीया द्वारा रेस्पोडेन्टस की भूमि की सम्बन्धित हल्का पटवारी व तहसीलदार महोदय के द्वारा पूर्व में मई, 2015 में करवाई गई पैमाईश को नहीं माना, इस कारण से उसे उपखण्ड

अधिकारी महोदय के समक्ष धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थन पत्र पेश कर नेखमबन्दी करवाने हेतु निवेदन करना पडा और उपखण्ड अधिकारी व द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को विधिवत होना मानते हुए नेखमबन्दी कराने के आदेश पारित किये है, जो उचित है। अतः अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत अपील को सारहीन होने से खारिज किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने दोनों पक्षों की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम दवाडा के खेत खसरा संख्या 423/837 रकबा 35 बीघा भूमि का सीमांकन/नेखमबन्दी करवाने हेतु रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 111, 128 के प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ के द्वारा वादग्रस्त भूमि की नेखमबन्दी करवाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2016 को पारित किये गये है। अपीलार्थीया के अधिवक्ता के द्वारा दौरान सुनवाई यह तथ्य उजागर किये कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीया को विधिवत नोटिस तामील नहीं करवाये तथा नोटिस कार्यवाही में कांट–छांट की जाकर उसकी तामील मान ली गई, उक्त तथ्यों पर न्यायालय हाजा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों/नोटिसेज इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससे उनके कथन उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार सही प्रतीत होते है। ऐसे में हम यह उचित समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थीया की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

फतेहगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीया को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथाोचित निर्णय पारित करें। इस हेतु अपील में अंकित दोनों पक्षकारान उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के समक्ष दिनांक 28.06.2019 को उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर